किसान रियल इंफ्रा एल.एल.पी, जयपुर

"एलाईट वर्ल्ड'', जोन–11
(रेरा रजिस्ट्रेशन नं. **RAJ/P/2025/3733**)

आवासीय योजनाओं में EWS/LIG के 79 भूखण्डों के लॉटरी से आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों की आवेदन पुस्तिका

आवेदन की प्रारंभ तिथि	07.10.2026
आवेदन की अन्तिम तिथि	06.11.2026
आवेदन में संषोधन/निरस्त सुविधा	13.11.2026 से 23.11.2026 तक
लॉटरी हेतू प्राप्त आवेदकों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	30.11.2026
लॉटरी की तिथि	07.12.2026

RERA Website:-http://rera.rajasthan.gov.in

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी, विकासकर्ता की वेबसाईट

VRBGROUP.CMJAY.ONLINE पर उपलब्ध है।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृ. संख्या
1	सामान्य षर्ते	4
2	आवेदन करने की प्रक्रिया	5
3	आवेदन की पात्रता	5
4	आवेदन की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग	5
5	भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण	6
6	लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया	8
7	आवेदन फार्म वापस लेने की विधि	9
8	असफल आवेदकों को पंजीकरण राषि की वापसी	9
9	आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किए जाने के कारण	9
10	अन्य महत्वपूर्ण षर्ते	10
11	परिशिष्ट–I (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र)	11
12	परिशिष्ट–II (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र)	12
13	परिशिष्ट–III (प्रमाण पत्र)	13
14	परिशिष्ट–IV (प्रमाण पत्र)	13
15	परिशिष्ट–V (षपथ पत्र)	14
16	परिशिष्ट–VI (षपथ पत्र)	15
17	परिशिष्ट–VII (प्रमाण पत्र)	16
18	परिशिष्ट–VIII (प्रमाण पत्र)	16
19	परिशिष्ट–IX (प्रमाण पत्र)	17
20	परिशिष्ट–X (प्रमाण पत्र)	17

प्रस्तावना :–

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित आवासीय योजनाओं में **"एलाईट वर्ल्ड"** ग्राम **भापुरा** तहसील सांगानेर जिला जयपुर में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के 79 भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्गमीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 एवं 17.09.2021 के अनुसार रहेगी। सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये) निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	आरक्षित दर रू. प्रति व. मी.	45 व. मी. के भूखण्डों की संख्या	45 से 75 मी. तक के भूखण्डों की संख्या
एलाईट वर्ल्ड (RAJ/P/2025/3733) जोन–11	7000	40	39
(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपयें में)		EWS 3,00,000/- तक	LIG 3,00,001/- से 6,00,000/. तक
(ii) आवंटन दर प्रति वर्गमीटर		आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर	आरक्षित दर के 80 प्रतिशत पर
(iii) पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)		10,000/-	20,000/-

- योजना में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की जा सकती है, जिसकी सूचना विकासर्ता की वेबसाईट VRBGROUP.CMJAY.ONLINE पर प्रदर्शित की जावेगी।

1. सामान्य शर्तें

1.1 योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रू. 500/– (Non-refundable) निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑनलाईन कंपनी खातें में जमा कराना होगा।

1.2 आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क आवेदित योजनाओं व श्रेणी के अनुसार जमा करवाना होगा।

1.3 योजनाओं में आवेदक की आय वर्ग के लिए निर्धारित भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

1.4 एक मोबाईल नम्बर से एक योजना में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। एक योजना में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से अलग–अलग आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राषि जब्त कर ली जाएगी।

1.5 योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखण्डों के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन होने पर, आवंटी स्वीकार करने का बाध्य होगा/होगी।

1.6 पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कंपनी के खातें, **QR Code** अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकता है।

1.7 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है। आवेदन फार्म में अंकित मोबाईल नम्बर पर OTP Varification के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।

1.8 आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई. एफ.एस.सी. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

1.9 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेज/बिना ब्याज ऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा।

1.10 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के बैंक खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।

1.11 आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आधार पर एवं निर्धारित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।

1.12 तकनीकी कारणों से ऑनलाईन आवेदन असफल होने की स्थिति में, पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर, यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकि कारणों से सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए द्वितीय एव तृतीय बढते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नही किया जावेगा। आवेदक द्वारा आवेदन असफल होने की स्थिति में नया आवेदन आय श्रेणी इत्यादि में परिवर्तन करते हुए आवेदन कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी प्रथम आवेदन को स्वीकार किया जाकर शेष आवेदन लॉटरी से हटा दिये जायेंगे तथा प्रथम आवेदन लॉटरी में सफल होने पर दस्तावेजों की जांच में अयोग्य पाया जाता है तो प्रथम आवेदन की सम्पूर्ण राषि जब्त कर ली जायेगी।

1.13 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय ग्रुप/वरियता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। अन्य प्रकार के संशोधन एवं आवेदन पत्र निरस्त हेतु लिखित आवेदन में 13.11.2026 से 23.11.2026 दिवस के भीतर विकासकर्ता के कार्यालय बेसमेंट फ्लोर, प्लाट नंबर 04, नारायण एनक्लेव,

मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर पर जाकर संशोधन की कार्यवाही की जावेगी। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

1.14 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राषि प्राप्त होने मात्र से, विकासकर्ता इन योजनाओं में भूखण्ड आवेदन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

1.15 राज्य सरकार/प्राधिकरण/विकासकर्ता द्वारा, बिना सूचना दिये भूखण्डों के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

1.16 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अंतिम होगा।

1.17 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

2. आवेदन करने की प्रक्रियाः–

2.1 भूखण्डों के लिए आवेदन विकासकर्ता की वेबसाईट VRBGROUP.CMJAY.ONLINE के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें।

2.2 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

2.3 आवेदनकर्ता के द्वारा फॉर्म भरते समय भुगतान संबंधी विवरण, UTR नम्बर संख्या, बैंक का नाम, पेमेंट की दिनांक, ऑनलाईन के मूल्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

2.4 ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि के भुगतान के लिए **"KISSAN REAL INFRA LLP"** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट विकासकर्ता के कार्यालय बेसमेंट फ्लोर, प्लाट नंबर 04, नारायण एनक्लेव, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर–302020 पर नियत दिनांक तक जमा करवाने होगें।

Note :. फॉर्म भरते समय फॉर्म में ऑनलाईन भुगतान का विवरण, UTR नम्बर संख्या अंकित करना और संबंधित भुगतान स्लिप (slip) संलग्न (upload) करना अनिवार्य है।

3. आवेदन की पात्रताः–

3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी (Bonafide resident of the Rajasthan) हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

3.3 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना की अवधि में चालू होना चाहिए।

3.4 आवेदक का स्वयं एवं उसकी/उसके पति/पत्नी अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।

3.5 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।

4. आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्गः–

4.1 आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2025–26 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक के परिवार की

सभी स्त्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। आवेदक के परिवार की परिभाषा में स्वयं के साथ निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित है –

I. पुरूष के मामले में पत्नी, तथा महिला के मामले में पति।
II. अविवाहित पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या मासिक 9500/– रुपये से अधिक आय कमाने तक, जो भी पहले हो।
III. अविवाहित पुत्री उसके शादी होने तक या मासिक 9500/– रुपये से अधिक आय कमाने तक, जो भी पहले हो।
IV. माता–पिता, जो आवेदक पर पूर्णतः आश्रित हो और माता–पिता की प्रतिमाह आय 9500/– रुपये से ज्यादा नहीं हो।

स्पष्टीकरण – इस प्रयोजन के लिए पुत्र/पुत्री में विधिक रूप से गोद लिये गए पुत्र/पुत्री भी सम्मिलित है।

4.2 ऐसे आवेदक, जो आयकर विवरणिका भरते हैं, उन्हें आई.टी.आर./फार्म 16 की प्रति तथा पेन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

5. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षणः–

5.1 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता हैः–

केन्द्र सरकार के कर्मचारी/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी '			**अनु. जनजाति**			**अनु.जाति**			**अधीस्वीकृत पत्रकार**			**ट्रांसजेंडर**	**सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)**			**अनारक्षित श्रेणी**		
10%			6.43%			8.57%			2%			2%	10%			61%		
5% दिव्यांगजन	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाए	सामान्य	5% दिव्यांगजन	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाए	सामान्य	5% दिव्यांगजन	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाए	सामान्य	5% दिव्यांगजन	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाए	सामान्य		शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)	सैनिक दिव्यांगजन (ब)	अन्य सैनिक (स)	5% दिव्यांगजन	10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाए	सामान्य

* प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में भूखण्डों की संख्या का निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार गणना करने पर 0.5 भूखण्ड या अधिक होने पर एक भूखण्ड रखा गया है एवं 0.5 से कम भूखण्ड होने पर इसे छोड दिया गया है।

* राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी, जो कि वर्तमान में परिवीक्षा पर है, वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.17(10)नविवि/द्वितीय/2021 जयपुर दिनांक 04.01.2021 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

- EWS के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रू. 300000/–प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- निम्न आय वर्ग (LIG) के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रू. 300000/– से 600000/–प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी के मृत्यु उपरांत 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति के मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रू. 600000/– से ज्यादा नही हो।
- निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रू. 80000/– प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त वर्ग के आवेदक को संबंधित तहसीलदार से निराश्रित एवं भूमि विहीन महिला होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त वर्ग की महिला को निर्धारित आय वर्ग के अनुसार केवल EWS श्रेणी के भूखण्डों में आरक्षण देय होगा।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिषत के आधार पर भूखण्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदक को किया जाएगा।

5.2 राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एव राजस्थान सरकार के उपक्रमों एवं केन्द्र सरकार के कार्मिकों/ व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.3 राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.4 दिव्यांगजन (विशेष योग्यजन) व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5.5 अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5.6 सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायु सेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।

5.7 आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

5.8 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

5.9 सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

5.10 अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

5.11 सैनिक श्रेणी में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट IV,V एवं VI प्रारूप अनुसार 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

5.12 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार भी शामिल है।) के लिए आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगाः–

(अ) उन सैनिकों की विधवायें एवं आश्रित परिवार जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित परिवार जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)।

(ब) दिव्यांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

(स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

(द) इनके लिए संबंधित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

5.13 आवेदक द्वारा गलत श्रेणी में आवेदन किए जाने पर निर्धारित अंतिम तिथि तक संषोधन/निरस्त नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र के लॉटरी में सफल होने पर विकासकर्ता कार्यालय स्तर पर दस्तावेजों की जांच के उपरान्त आवेदित श्रेणी के अनुसार दस्तावेज जमा नहीं करवाए जाने पर आवेदन रद्द करके सम्पूर्ण पंजीयन राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रियाः–

6.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को विकासकर्ता की वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज, लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर संबंधित विकासकर्ता कार्यालय में जमा कराने होंगे अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)
- पहचान हेतु फोटोयुक्त वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होगें।
- सकल वार्षिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी/वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

6.2 संबंधित विकासकर्ता कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

6.3 लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन–मांग पत्र की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में केवल बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन द्वारा **KISSAN REAL INFRA LLP** के नाम से जयपुर शहर स्थित संबंधित बैंक शाखा में संबंधित योजना के खाते में संपूर्ण जमा करानी होगी। इसके उपरांत मांग राषि आगामी 31वें दिवस से आगामी 90 दिवस तक 15 प्रतिषत वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई जा सकती है। मांग पत्र की दिनांक से 120 दिवस में मय ब्याज राषि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर संपूर्ण राषि जब्त कर ली जायेगी एवं आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

6.4 भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित विकासकर्ता अभियंता से संभालना होगा।

7. आवेदन फार्म वापस लेने की विधिः–

7.1 विकासकर्ता के पास जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड लॉटरी दिनांक से पश्चात् तथा आवंटन सह मांग–पत्र जारी होने से पूर्व/पष्चात रिफण्ड चाहने पर पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष पंजीकरण राशि रिफण्ड की जावेगी।

7.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक योजना में एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में उसी योजना में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा विकासकर्ता को दी जावेगी।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसीः–

8.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बचत बैंक खाता संख्या, अंकित बैंक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी।

8.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक विकासकर्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण एवं बैंक खाता बंद होने आदि की स्थिति में पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर विकासकर्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारणः–

9.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच विकासकर्ता स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर संपूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

9.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

9.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

9.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

9.5 आवेदन पत्र में नियम विरूद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।

9.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

9.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

10. अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः–

10.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीजहोल्ड/फ्री – होल्ड पर आवंटित किए जाएगें।

10.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा।

10.3 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवटंन के 07 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवटंन निरस्त समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेष प्रभावी होंगे।

10.4 आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 0 वर्ष से 5 तक की अवधि में हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 10 प्रतिषत शुल्क वसूल कर एवं 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तान्तरण करने पर प्रचलित दर का 05 प्रतिषत शुल्क वूसल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दी जाएगी।

10.5 आवंटित भूखण्ड केवल ''आवासीय'' उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित ''भवन विनियम'' के प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा।

10.6 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाए तो विकासकर्ता द्वारा बदले में कोई भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा एवं सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राषि नियमानुसार लौटा दी जाएगी।

10.7 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राषि प्राप्त होने मात्र से विकासकर्ता की इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी भी तरह से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

10.8 आवंटन के संबंध में राजस्थान सुधार न्यास (षहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/नियम/आदेष/निर्देष लागू होंगे।

10.9 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अंतिम होगा।

10.10 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

परिषिष्ट–।

<u>स्वप्रमाणित</u>

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... आयु .....
निवासी ..... शपथ पूर्व
घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी भी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूं।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूं, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे में पेश कर दूंगा/कर दूंगी।

(3) यह कि मैंने **सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार)** में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूं। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

<u>घोषणा</u>

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... शपथ पूर्वक
घोषणा करता/करती हूं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिषिष्ट–II

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री . ..... जाति ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रू0 ..... प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन नम्बर ..... है।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इस कम्पनी/फर्म में ..... पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रू0 ..... प्रतिवर्ष है।

कम्पनी/फर्म प्रमाणितकर्ता
के हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

आय प्रमाण –पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री . ..... इस विभाग में ..... पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय रू0 ..... प्रतिवर्ष है।

दिनांक :
स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

परिषिष्ट–III

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी ..... जिला ..... सम्भाग ..... राज्य ..... जाति के सदस्य हैं जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिषिष्ट–IV

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (रैंक) .....
(नाम) ..... (नम्बर) .....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रूपये ..... प्रतिमाह है।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी वार्षिक आय रूपये ..... प्रतिवर्ष थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री ..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू0 ..... प्रतिमाह थी। इन्होने अभी तक पूनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थानः
दिनांक :
उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिषिष्ट–V

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें षहीद की विधवा व षहीद के आश्रित परिवार शामिल है।)

कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... आयु ..... निवासी ..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एकमात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूं। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/ ..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिषिष्ट–VI

अन्य सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी षामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री ..... आयु .....
निवासी .....
शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि

(1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूं।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से अतिरिक्त आरक्षित भूखण्ड हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिषिष्ट–VII

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .
..... निवासी .....
की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिषिष्ट–VIII

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .
..... निवासी .....
तहसील ..... जिला ..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

(उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति)

परिषिष्ट–IX

निराश्रित भूमिहीन एकल महिला आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री ..... पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... निराश्रित भूमिहीन एकल महिला है।

हस्ताक्षर तहसीलदार
(कार्यालय की मय मोहर)

स्थान :
दिनांक :

(उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति)

परिषिष्ट–X

ट्रांसजेंडर आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... ट्रांसजेंडर पत्रकार है।

हस्ताक्षर तहसीलदार
(कार्यालय की मय मोहर)

स्थान :
दिनांक :

(उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति)